

पृष्ठांकन हेतु स्थान  
SPACE FOR ENDORSEMENT



टिप्पणी: यदि आपको कोई शिकायत/परेशानी हो तो आप शिकायत निराकरण अधिकारी/लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं जिनका पता नीचे दिया जा रहा है:

NOTE: In case you have any complaint/grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/Insurance Ombudsman whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता Address of Branch office	शिकायत निराकरण अधिकारी का पता Address of Grievance Redressal Officer	लोकपाल का पता Address of Ombudsman

किसी भी पॉलिसी सेवा के लिए कृपया उपरोक्त शाखा कार्यालय पते पर विभिन्न माध्यमों से संपर्क करें.  
For any service requirement please contact at the above branch office address via different media options.

टिप्पणी: इन निबंधनों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी भाषा विधिमान्य होगा।

NOTE: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जाँच कर लें और यदि कोई गलती दिखाई दे तो सुधारने के लिए इसे तुरंत लौटा दें.

You are requested to examine this policy, and if any mistake be found therein, return it immediately for correction.

आई आर डी ए पंजीकरण संख्या: 512  
IRDA Regn. No.: 512



एलआईसी का इ-टर्म (लाभ रहित)  
LIC's e-Term (WITHOUT PROFITS)



(UIN: 512N288V01)

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)/(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे इसके बाद निगम कहा जायेगा) यहाँ नीचे सन्दर्भित अनुसूची में उल्लिखित बीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव तथा घोषणा और प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति होने पर और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा और उसमें दिये गये और सन्दर्भित विवरण इस बीमा पॉलिसी के आधार पर उक्त बीमित व्यक्ति और निगम द्वारा उसे स्वीकार किये जाने पर इस अनुसूची में निर्धारित बाद के प्रीमियमों पर विचार करते हुये और उनकी उचित प्राप्ति निगम के उस शाखा कार्यालय पर हितलाभ का बिना ब्याज के भुगतान करने के लिये यहाँ यह उस व्यक्ति या व्यक्तियों को यह पॉलिसी दी जाती है, जिन्हें उक्त अनुसूची के अनुसार यह देय होगी, लेकिन इन लाभों के सम्बन्ध में निगम की संतुष्टि के लिये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि अनुसूची में निर्धारित रकम के देय होने पर उस व्यक्ति या व्यक्तियों को हक का, जो भुगतान का दवा कर रहा हो/रहे हों, की प्रस्ताव में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु की सत्यता के बारे में देय होगा, यदि वह पहले नहीं दिया गया हो.

और एतद्वारा यह घोषित किया जाता है यह पॉलिसी इसके पृष्ठ भाग पर अंकित शर्तों और सुविधाओं के अधीन होगी तथा उपर्युक्त अनुसूची व निगम द्वारा अंकित प्रत्येक पृष्ठकन पॉलिसी के अंग माने जायेंगे.  
THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the schedule, to pay the Sum Assured, but without interest at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Sum Assured having become payable as set out in the Schedule, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted. And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Conditions and Privileges printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

मंडल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE	अनुसूची / SCHEDULE	शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE
पॉलिसी संख्या/Policy Number:	बीमाकृत राशि (₹)/Sum Assured (₹):	प्रीमियम देय तिथि/ Due date of premium:
पॉलिसी प्रारम्भ की तिथि/Date of Commencement of policy:		प्रीमियम भुगतान की विधि/ Mode of payment of premium:
जोखिम प्रारम्भ की तिथि/Date of Commencement of Risk:	प्रीमियम किश्त (₹)/ Installment premium (₹):	अंतिम प्रीमियम की देय तिथि/ Due Date of Payment of Last premium:
योजना एवम अवधि/ Plan and Policy Term:		जन्म तिथि/ Date of birth:
पूर्णावधि की तिथि/ Date of Maturity:		बीमित व्यक्ति की आयु/ Age of the Life Assured:
		क्या आयु स्वीकृत है/ Whether age Admitted:
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित/Nominee under section 39 of the Insurance Act, 1938:		प्रस्ताव संख्या/ Proposal No.:
अवयस्क नामित के नियोक्ता का नाम/If Nominee is a minor, the name of the Appointee:		प्रस्ताव की तिथि/ Date of the Proposal:
बीमित व्यक्ति का नाम और पता/Name & Address of the Life Assured:		प्रस्तावक का नाम और पता/Name & Address of the Proposer:

वे घटनाएँ जिनके होने पर लाभ देय हैं। Events on the happening of which benefits are payable:

घटनाएँ/Events	देय लाभ भुगतान / Benefits Payable
परिपक्वता की कथित तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर बशर्तें पॉलिसी अद्यतन प्रीमियमों के भुगतान द्वारा पूर्ण रूप से चालू हों। On death of the Life Assured before the stipulated date of Maturity provided the policy is in full force by paying upto-date premiums.	बीमाधन का भुगतान Sum Assured shall be payable.
परिपक्वता की कथित तिथि पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्तें पॉलिसी अद्यतन प्रीमियमों के भुगतान द्वारा पूर्ण रूप से चालू हों। On the Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity provided the policy is in full force by paying upto-date premiums.	कोई लाभ भुगतान नहीं No Benefits shall be payable.

<b>बीमा धन किसको मिलेगा</b>	बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत उसके नामितियों या बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत लाभार्थी या समनुदेशिनी या उन प्रमाणिक प्रबंधकों या प्रशासकों या अन्य विधिक प्रतिनिधियों को दिया जाएगा, जिन्हें उसकी संपदा या केवल इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या क्षेत्र के किसी न्यायालय से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।
<b>To whom Sum Assured payable:</b>	Nominees under Section 39 of the Insurance Act, 1938 or the beneficiary or the Assignee under Section 38 of the Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India.
<b>प्रीमियम चुकाने की अवधि/Period during which premium payable:</b>	अंतिम प्रीमियम के भुगतान की कथित देय तिथि तक या इसके पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर. Till the stipulated due date of the payment of last premium or earlier death of the Life Assured.
<b>प्रीमियम भुगतान करने की तिथियाँ / Dates when premium payable:</b>	_____ में कथित देय तिथि पर On the stipulated date in _____

निगम की ओर से उपर्युक्त शाखा कार्यालय में हस्ताक्षरित जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है और जिस पते पर पॉलिसी के सम्बन्ध में सभी पत्राचार किया जाना चाहिए.  
Signed on behalf of the Corporation at the above-mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed:

तिथि / Date:  
प्रपत्र क्र. / Form No.:  
जाँच कर्ता / Examined by:

कृते प्रमुख/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक  
p.Chief/Sr./ Branch Manager:

## इस पॉलिसी मे दी गई शर्तों व सुविधायें

1. **आयु प्रमाण :** प्रस्ताव पत्र में घोषित की गई बीमित व्यक्ति की आयु पर प्रीमियम की गणना हो जाने के उपरांत यदि आयु उस आयु से अधिक पाई जाती है तो बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामले में, प्रीमियम प्रवेश के समय सही आयु के आधार पर निकाली गई दर से देय होगा और पॉलिसी आरम्भ होने से लेकर ऐसे भुगतान की तिथि तक मूल प्रीमियम और सही आयु के प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और सही आयु के प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और सही आयु के प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और सही आयु के लिये निगम द्वारा उस समय प्रचलित दर से ब्याज सहित भुगतान करेगा, तथापि प्रावधान है कि यदि बीमित व्यक्ति इसमें उल्लिखित प्रीमियम की दर से भुगतान करता रहे और उपयुक्त संचित ऋण राशि का भुगतान न करे तो पॉलिसी प्रारम्भ होने की तिथि से पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक सही आयु के प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और ऐसे अंतर की प्रत्येक किश्त पर दावे के समय प्रचलित दर से ब्याज के साथ देय होगी, उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति द्वारा देय ऋण माना जायेगा तथा पॉलिसी के अंतर्गत दावा होने पर पॉलिसी की धनराशि से काट लिया जायेगा।

यह भी प्रावधान है कि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही आयु जो उक्त तालिका में निर्दिष्ट बीमा वर्ग अथवा शर्तों के अधीन बीमा लेने के लिए उसे अयोग्य बना दे तो उसको पॉलिसी के प्रारम्भ में प्रचलित प्रथा के अनुसार निगम द्वारा प्रदान किये जाने वाले बीमा वर्ग अथवा सहर्तों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्त कि बीमित व्यक्ति को स्वीकार हो, अन्यथा पॉलिसी को बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अनुसार रद्द कर दिया जाएगा और कोई राशि देय नहीं होगी।

2. **प्रीमियम का भुगतान:** भुगतान के लिये एक माह किंतु कम से कम 30 दिन की रियायत अवधि दी जायेगी. यदि प्रीमियम का भुगतान रियायत अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जाता है तो पॉलिसी कालातीत हो जायेगी।

इस अवधि के दौरान और उस वक्त देय प्रीमियम का भुगतान करने से पूर्व ही यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी पॉलिसी वैध रहेगी और बीमाधन का भुगतान उक्त प्रीमियम तथा अगली वर्षगांठ के पूर्व देय होने वाले अदत्त प्रीमियम की कटौती के उपरांत किया जायेगा।

3. **कर:** कर सेवाकर सहित, यदि कोई हो, कर कानून के अनुसार होंगे और कर की दर समय समय पर लागू अनुसार होगी।

कर कानून के अनुसार देय कर की राशि पॉलिसी धारक से प्रीमियम देने के समय वसूल की जायेगी, कर के लिए प्रदत्त राशि योजना के अंतर्गत दिए गए लाभ की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी. कर के लिए प्रदत्त राशि योजना के अंतर्गत दिए गए लाभ की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

4. **बन्द पॉलिसियों का पुनः प्रवर्तन:** यदि पॉलिसी कालातीत हो गई है, तो उसे बीमित व्यक्ति के जीवन काल में, प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर तथा परिपक्वता तिथि के पूर्व निगम को सतत बीमा योग्यता का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा सभी बकाया प्रीमियमों का निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर से छमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान करके पुनः प्रवर्तित कराया जा सकता है. तथापि, निगम बन्द पॉलिसियों के प्रवर्तन को मूल शर्तों पर स्वीकार या संशोधित दरों पर स्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है. बन्द पॉलिसी का पुनः प्रवर्तन तभी प्रभावी होगा जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया जायेगा तथा विशिष्ट रूप से प्रस्ताव/बीमित व्यक्ति को सूचित कर दिया जायेगा।

पॉलिसी का पुनः प्रवर्तन करने हेतु चिकित्सा रिपोर्ट जिनमे विशेष रिपोर्ट भी शामिल है, यदि कोई है, की लागत बीमित व्यक्ति को अदा करनी होगी।

5. **विशेष परिस्थितियों में जव्ती:** यदि प्रीमियमों का भुगतान नियम अनुसार नहीं किया जाता है या इसमें समाविष्ट या पृष्ठांकित किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव पत्र, व्यक्तिगत प्रकथन, घोषणा और संबंधित प्रलेखों में कोई असत्य या गलत कथन सम्मिलित है अथवा कोई तात्विक जानकारी छिपाई गई है तो ऐसे प्रत्येक मामले में किन्तु बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की लागू हो सकने वाली व्यवस्थाओं के अधीन यह पॉलिसी अवैध होगी और इसमें सम्बन्धित

## CONDITIONS AND PRIVILEGES WITHIN REFERRED TO

1. **Proof of Age:** The premium having been calculated on the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the premium shall be payable in such case at the rate calculated on the Sum Assured for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium, from the commencement of the Policy upto the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time, however, that in case the Life Assured/ proposer continues to pay the premium at the rates shown herein, and also does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium from the commencement of this Policy upto the date on which the Policy becomes a claim, with interest on each instalment of such difference at such rate as may be prevailing at the time of claim, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Policy and will be deducted from the Policy moneys payable on the Policy becoming a claim.

Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plan of Assurance as are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this policy subject to the consent of the Policyholder, otherwise the policy will be cancelled and nothing shall be payable, subject to section 45 of Insurance Act. 1938.

2. **Payment of Premiums:** A grace period of one month but not less than 30 days shall be allowed. If premium is not paid before the expiry of the days of grace, the Policy lapses.

If the death of the Life Assured occurs within the grace period but before the payment of the premium then due, the policy will still be valid and the Sum Assured shall be paid after deduction of the said unpaid premium .

3. **Taxes:** Taxes including Service Tax, if any, shall be as per the Tax laws and the rate of tax shall be as applicable from time to time.

The amount of tax as per the prevailing rates shall be payable by the policyholder as and when the premiums are paid, on the Instalment premium mentioned in the schedule. The amount of tax shall not be considered for calculation of benefits payable under plan.

4. **Revival of Discontinued Policies:** If the policy has lapsed, due to non payment of due premium within the days of grace, it may be revived during the life time of the Life Assured, but within a period of 2 consecutive years from the date of the first unpaid premium and before the date of maturity, on submission of proof of continued insurability to the satisfaction of the Corporation and the payment of all the arrears of premium together with interest (compounding half-yearly) at such rate as fixed by the Corporation from time to time. The Corporation, however, reserves the right to accept at original terms, accept with modified terms or declines the revival of a discontinued policy. The revival of the discontinued policy shall take effect only after the same is approved by the Corporation and is specifically communicated to the Policyholder/Life Assured.

The cost of the medical reports, including special reports, if any, required for the purposes of revival of the policy, shall be borne by the Life Assured.

5. **Forfeiture in certain events:** In case the premiums shall not be duly paid or in case any condition herein contained or endorsed hereon shall be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal/personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case but subject to the provisions of Section 45 of

किसी भी हितलाभ के लिए समस्त दावे बंद और समाप्त हो जायेंगे और इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार तथा कानूनी तौर पर निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी।

6. **आत्महत्या:** यदि बीमित व्यक्ति (चाहे मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनः प्रवर्तन करने के पश्चात 12 महीनों में आत्महत्या कर लेता है तो मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त प्रीमियम के 80% के सममूल्य राशि, अगर पॉलिसी पूर्णतः चालू है तो (कर और अतिरिक्त प्रीमियम, अगर कोई है, को छोड़ कर) देय होगी. इस पॉलिसी के अंतर्गत अन्य कोई दावे पर निगम विचार नहीं करेगा.

7. **अभ्यर्पित मूल्य:** इस पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पित मूल्य उपलब्ध नहीं होगा.

8. **प्रदत्त मूल्य:** इस पॉलिसी को कोई प्रदत्त मूल्य प्राप्त नहीं होगा.

9. **ऋण:** इस योजना में ऋण उपलब्ध नहीं है.

10. **समनुदेशन व नामांकन:** इस प्लान के अंतर्गत बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अनुसार समनुदेशन की अनुमति है. बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के तहत जीवन बीमा की पॉलिसी धारक को नामांकन करना जरूरी है. पॉलिसी में प्रस्ताव चरण के समय ही नामांकन सुनिश्चित करना चाहिए. तत्पश्चात समनुदेशन या नामांकन में परिवर्तन निगम के जिस कार्यालय से पॉलिसी सेवा दी जा रही है वहाँ पर समनुदेशन सूचना या नामांकन में परिवर्तन प्रस्तुत करना चाहिए, समनुदेशन सूचना या नामांकन में परिवर्तन करने पर निगम कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगा या उसकी वैधता या वैधानिक परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा.

11. **दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं:** पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय निगम द्वारा निर्धारित आवेदन दस्तावेजों में दावा फॉर्म, मूल पॉलिसी दस्तावेज, स्वामित्व का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, दुर्घटना/अपंगता का प्रमाण, मृत्यु से पूर्व का वैद्यकीय उपचार, बैंक के खाते में सीधा अंतरन करने हेतु NEFT अनुदेश, नियोक्ता का प्रमाणपत्र, इनमें से जो भी लागू हो, निगम को संतोषप्रद रूप में पेश करना होगा. अगर पॉलिसी के अंतर्गत आयु स्वीकृत नहीं की गई है, तो बीमित व्यक्ति की आयु का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा.

12. **वैधानिक परिवर्तन:** इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियमों और हितलाभों सहित नियम और शर्तें संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार परिवर्तनीय हैं.

13. **कूलिंग ऑफ अवधि:** यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियम और शर्तों" से संतुष्ट नहीं है तो वह पॉलिसी प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर आपत्तियों का कारण बताते हुये निगम को पॉलिसी लौटा सकता है. इसके प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी निरस्त करके, जमा की गई प्रीमियम की राशि से प्रमाण के अनुसार रिस्क प्रीमियम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, स्टैम्प शुल्क और विशेष रिपोर्ट, अगर कोई है, काट कर वापिस कर देगा.

### बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी पर उसे लेने की तिथि से दो वर्ष बाद किसी बीमाकर्ता द्वारा इस आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जाएगी कि बीमा हेतु दिए गए प्रस्ताव पत्र में या चिकित्सा अधिकारी या मध्यस्त या बीमित व्यक्ति के मित्र की किसी रिपोर्ट में या किसी अन्य प्रलेख में दिया गया कोई वक्तव्य, जिसके आधार पर वह पॉलिसी जारी की गई हो, गलत या मिथ्या था जब तक कि बीमाकर्ता यह सिद्ध न कर दें कि वह वक्तव्य किसी तात्विक मामले पर था या ऐसे तथ्यों को छिपाया गया था जिन्हें प्रकट करना तात्विक था और पॉलिसीधारक ने ऐसा छलपूर्वक किया था और वह वक्तव्य देते समय पॉलिसीधारक अवगत था कि वह झूठा है या उसमें ऐसे तथ्यों को छिपाया गया है जिन्हें प्रकट करना तात्विक था.

परंतु इस धारा के प्रावधान बीमाकर्ता को, किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से वंचित नहीं करते, यदि उसे ऐसा करने का हक हो और केवल इस आधार पर यह नहीं माना जाएगा कि किसी पॉलिसी पर आपत्ति उठाई गई है कि प्रस्ताव में बताई गई बीमित व्यक्ति कि आयु गलत होने का प्रमाण मिलने पर बाद में पॉलिसी की शर्तों में परिवर्तन किया गया है.

the Insurance Act, 1938, wherever applicable, this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue hereof shall cease immediately and nothing shall be payable.

6. **Suicide:** This policy shall be void if the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk or within 12 months from the date of revival and the Corporation will not entertain any claim under this policy except to the extent of 80% of the premiums paid till the date of death excluding any taxes, extra premium, if any, provided the policy is in force.

7. **Surrender Value:** No Surrender Value will be available under this policy.

8. **Paid-up Value:** This policy will not acquire any Paid-up value.

9. **Loan:** No loan will be available under this policy.

10. **Assignments and Nominations:** Assignment is allowed under this plan as per section 38 of the Insurance Act, 1938.

Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per section 39 of the Insurance Act, 1938. It should be ensured that a nomination is made in the policy at the proposal stage necessarily. However, on a subsequent assignment or change of nomination, the notice of assignment or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering an assignment or nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

11. **Normal requirements for a claim:** The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be the claim form, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, medical treatment prior to the death; employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life assured shall also be submitted.

12. **Legislative Changes:** The Terms and Conditions including the premiums and benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

13. **Cooling-off Period:** If the Policyholder is not satisfied with the "Terms and Conditions" of the policy, the policy may be returned to the Corporation within 30 days from the date of receipt of the policy stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of premium deposited after deducting the proportionate risk premium for the period on cover, stamp duty charges, expenses for medical examination and special reports, if any.

### Section 45 of Insurance Act, 1938:

No policy of life insurance shall after the expiry of two years from the date on which it was effected, be called in question by an insurer on the ground that a statement made in the proposal for insurance or in any report of a medical officer, or referee, or friend of the insured, or in any other document leading to the issue of the policy, was inaccurate or false, unless the insurer shows that such statement was on a material matter or suppressed facts which it was material to disclose and that it was fraudulently made by the policyholder and that the policyholder knew at the time of making it that the statement was false or that it suppressed facts which it was material to disclose.

Provided that nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life assured was incorrectly stated in the proposal.